भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 5571
04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

तेलंगाना में केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) वेलनेस केंद्र

† 5571. श्रीमती डी. के. अरुणाः
श्री चमाला किरण कुमार रेड्डीः
श्री सुरेश कुमार शेटकरः
श्री इटेला राजेंदरः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश में विशेष रूप से हैदराबाद में केपीएचबी कॉलोनी, मियापुर, पातनचेरू, भरत नगर, नरसिंगी, गुंडलापोचमपल्ली क्षेत्रों में तथा तेलंगाना के सभी जिलों में नए सीजीएचएस वेलनेस केंद्र/दंत चिकित्सा अस्पताल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, ताकि बड़ी संख्या में वहां बसे केंद्र सरकार के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बढ़ती जरूरतों को पूरा किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में और अधिक सीजीएचएस वेलनेस केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है तथा विशेष रूप से तेलंगाना राज्य के लिए उस पर रिपोर्ट तैयार की है, क्योंकि मौजूदा 13 सीजीएचएस वेलनेस केंद्र, सीजीएचएस लाभार्थियों/ मरीजों की बढ़ती जरूरतों/ मांगों को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तेलंगाना/आंध्र प्रदेश के सभी जिलों में और ऐसे केंद्र स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार के पास हैदराबाद में मौजूदा 13 सीजीएचएस केंद्रों की सेवाओं को नवीनतम उपकरणों के साथ बेहतर बनाने और अधिक डॉक्टरों और अन्य विशेषज्ञों की नियुक्ति करने का भी प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सीजीएचएस के निर्धारित डॉक्टर-रोगी अनुपात के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष तक स्वीकृत और व्यय की गई धनराशि क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): नए सीजीएचएस वेलनेस सेंटर खोलने के लिए मौजूदा मानदंडों में, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यूनतम 2500 मुख्य सीजीएचएस कार्डधारक या 6000 सीजीएचएस लाभार्थियों को होना शामिल है, जो संसाधनों की उपलब्धता, उपयुक्त आवास, चिकित्सा अधिकारियों, फार्मासिस्टों, स्टाफ नर्स, लिपिक

कर्मचारियों आदि के पदों के सृजन के अध्यधीन हैं। इन वेलनेस सेंटरों के लिए पदों की मंजूरी और धन का आवंटन वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के क्षेत्र में आता है।

हैदराबाद, तेलंगाना में सीजीएचएस लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 111 निजी अस्पताल, 30 विशेष नेत्र परिचर्या अस्पताल, 8 विशेष दंत चिकित्सा परिचर्या अस्पताल और 11 डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाएं और इमेजिंग केंद्र सीजीएचएस के तहत पैनलबद्ध हैं।

जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (जीडीएमओ) के पद को भरने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय प्रति वर्ष संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को रिक्तियों के अनुसार मांग पत्र प्रस्तुत करता है। यूपीएससी गैर-शिक्षण विशेषज्ञों की भर्ती के लिए साक्षात्कार भी आयोजित करता है और रिक्त पदों के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की सिफारिश करता है। इसी तरह, गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के संबंध में, ये रिक्तियां कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के माध्यम से भरी जाती हैं। पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान बजट व्यय का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

अनुलग्नक

<u>पिछले **5** वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान बजट व्यय का विवरण</u>

क्र.सं.	वित्त वर्ष	स्वीकृत धनराशि (राशि करोड़ रुपये में)	व्यय की गई धनराशि (राशि करोड़ रुपये में)	डॉक्टर	लाभार्थी
1	वित्त वर्ष 19-20	206.71	206.16	98	196695
2	वित्त वर्ष 20-21	236.15	236.00	98	221235
3	वित्त वर्ष 21-22	267.86	265.69	98	237848
4	वित्त वर्ष 22-23	382.75	382.65	98	254636
5	वित्त वर्ष 23-24	332.49	353.05	98	269106
6	वित्त वर्ष 24-25 (26.03.2025 तक)	471.81	428.45	98	285220

*****